५१

20.3.25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील वादी द्वारा एक प्रा.पत्र साक्ष्य हेतु समय दिलाने का पेश किया गया। प्रकरण में वकील वादी को पूर्व में साक्ष्य पेश करने के कई अवसर दिये जाने के पश्चात दिनांक 4.3.25 को अंतिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया था कि दि. 20.3.25 को साक्ष्य वादी पेश नही करने पर साक्ष्य वादी बन्द समझी जावेगी। इस निर्देश के पश्चात भी वकील वादी द्वारा प्रकरण में साक्ष्य पेश न होकर प्रा.पत्र पेश कर वादिया की तबीयत खराब होने से चलने फिरने की हालत में नही होने का अंकन किया गया है। किन्तु प्रा.पत्र के साथ किसी भी डा. की पर्ची या डा. का सार्टिफिकेट सलंग्न कर पेश नही किया गया है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत प्रा.पत्र साक्ष्य हेतु समय दिलाने का खारिज किया जाता है। व प्रकरण में साक्ष्य वादी पेश नही करने से साक्ष्य वादी बन्द कि जाती है। प्रकरण में साक्ष्य वादी बन्द होने से प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर नही आ सकते है। ऐसी स्थिति दावा सिद्ध नही होगा अतः वाद वादी का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।